रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16112023-250057
CG-DL-E-16112023-250057

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4727] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 14, 2023/कार्तिक 23, 1945
No. 4727] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 14, 2023/KARTIKA 23, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2023

का.आ. 4936(अ).—जबकि भारत सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिनांक 11 अक्टूबर, 2023 के का.आ. 4441(अ) (इसके बाद 'प्रारूप अधिसूचना' के रूप में संदर्भित) के द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1), उप-धारा 2 के खंड (ii), धारा 6 की उप-धारा (1) और धारा 25 की उप-धारा (1) के तहत और भारत के राजपत्र में दिनांक 21 फरवरी, 1991 के सा.का.नि. 85 (अ) के द्वारा प्रकाशित 'इकोमार्क' के अधिक्रमण में घरेलू और अन्य उपभोक्ता उत्पादों के लिए मान्यता और लेबलिंग, जो उस उत्पाद के लिए भारतीय मानकों की गुणवत्ता संबंधी अपेक्षाओं के साथ-साथ कतिपय पर्यावरणीय मानदंडों को पूरा करते हैं, प्रदान करने के लिए इकोमार्क प्रमाणन नियम, 2023 के प्रारूप उपबंधों वाली एक अधिसूचना जारी की।

जबकि, उक्त प्रारूप अधिसूचना के प्रकाशन के माध्यम से, प्रभावित होने की संभावना वाली जनता की जानकारी के लिए नोटिस दिया गया था और उल्लेख किया गया था कि उक्त अधिसूचना के संबंध में किसी भी व्यक्ति से शासकीय राजपत्र में उक्त प्रारूप के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

जबकि, उक्त प्रारूप अधिसूचना में निर्दिष्ट किया गया है कि उक्त अधिसूचना पर शासकीय राजपत्र में इसके प्रारूप के प्रकाशन की तारीख से तीस (30) दिनों की अवधि की समाप्ति पर या उसके बाद विचार किया जाएगा;

जबकि, उक्त प्रारूप अधिसूचना में केवल इकोमार्क करे प्रचालनात्मक बनाने के लिए कार्यान्वयन और कार्यतंत्र के लिए रूपरेखा का प्रावधान किया गया है;

जबकि, व्यापक परामर्श से जनता की टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए, केंद्रीय सरकार ने जन परामर्श अवधि को 30 दिनों तक बढ़ाने का निर्णय लिया है;

अब, इसलिए, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा 2(iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, एतद्वारा प्रारूप अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस (30) दिनों की समाप्ति की तारीख से प्रारूप अधिसूचना के संबंध में जन परामर्श की अवधि को और तीस दिन (30) तक बढ़ाती है।

[फा. सं. एचएसएम-12/56/2022-एचएसएम-पार्ट(2)]

नमिता प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th November, 2023

S.O. 4936(E).—Whereas the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide S.O. 4441 (E) dated 11th October, 2023 (herein after referred as 'the draft notification') issued a notification containing draft provisions of Ecomark Certification Rules, 2023, under sub-section (1), clause (ii) of sub-section 2 of section 3, sub-section (1) of section 6, and sub-section (1) of section 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in supersession of 'Ecomark' vide G.S.R. 85 (E), dated the 21st February, 1991 in the Gazette of India, to provide accreditation and labelling for household and other consumer products which meet certain environmental criteria along with quality requirements of the Indian Standards for that product;

Whereas, through the publication of the draft notification, notice was given for the information of the public likely to be affected and mentioned that the objections or suggestions, which may be received from any person with respect to the said Notification within the period 30 days from the date of publication of the draft in the official Gazette, will be taken into consideration by the Central Government;

Whereas, the draft notification specified that the said notification will be taken into consideration on or after the expiry of a period of thirty (30) days from the date of publication of the draft in the official Gazette;

Whereas, the draft notification provides the framework only for implementation and mechanism for operationalisation of the Ecomark;

Whereas, to seek public comments from wide consultation, the Central Government has decided to increase the public consultation period to further 30 days;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section 2(iii) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby extends the public consultation period for the draft notification by thirty days(30) from the date of expiry of thirty (30) days from the date of publication of the draft notification.

[F. No. HSM-12/56/2022-HSM-Part(2)]

NAMEETA PRASAD, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAVINDER KUMAR Digitally signed by RAVINDER KUMAR Date: 2023.11.16 11:53:02 +05'30'